अज अदालत
फर्द अहकाम,
(नियम 26)

नरसाराम पुत्र सांवलाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी लोहिड़ी तहसील सिणधरी

बनाम

कुम्भाराम पुत्र सांवलाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी लोहिड़ी तहसील सिणधरी

मुकदमा संख्या 270/2022

तारीख हुकम		तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
02.122022	यह आवेदन प्रार्थी की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारण द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी के नोटिस तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. जारी करनें का निवेदन किया गया। जो विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड ए.डी नोटिस से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। वकील प्रार्थी को विप्रार्थीगण के नोटिस तलबी की दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते–विप्रार्थीगण की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 30.12.2022 को पेश हो।	

सहायक कलेक्टर SDO सिणधरी

30.12.2022

पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण की तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस की पालना रिपोर्ट अप्राप्त।

स्थगन प्रार्थना पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 437 रकबा 9.4977 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम मौजा तिलोणियों की ढ़ाणी पटवार मण्डल भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार

सहायक कलेक्टर SDO सिणधरी

कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 1, बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थी के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि-भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं है.। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 437 रकबा 9.4977 हैक्टेयर मौजा तिलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थी संख्या 1 उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेंदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जारी की जावें।

हमनें प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण किया, जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 437 रकबा 9.4977 हैक्टेयर मौजा तिलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त एवं सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें पक्षकारान् के हिस्से भी राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है। जंहा तक प्रार्थी वकील का तर्क है कि

SDO सिणधरी

270/2022

विप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारण सामलाती भूमि के कब्जे को लेकर है, जंहा तक प्रार्थी वकील की दलील है कि जब तक विधिवत बंटवाड़ा नही हो तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की सामलाती भूमि पर समान रूप से कब्जा माना जाता है, इस स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 437 रकबा 9.4977 हैक्टेयर मौजा तिलोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के संबंध में आगामी पेशी तिथि तक विप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विप्रार्थी सं. 1, प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप इत्यादि नहीं करते हुए राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का तलबी इंतजार होकर आईन्दा 08.02.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

08.02.2023 वकील प्रार्थी उप.।
पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इंतजार होकर आईन्दा 08.03.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

8.3.23 पत्रावली पेश हुई

बार एसोसिएशन द्वारा इस्तीफे (रुपया) जाने से

पत्रावली वास्ते बहस आज 9.5.23 को पेश

हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

12.4.2023 वादी द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर यह आवेदन मूल वाद के संलग्न दर्ज किया गया।

चूंकि मूल वाद जरिये राजीनामा पहले के खारिज किया जा चुका है। लिहाजा इस आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः मूल वाद की तर्ज पर इस आवेदन को भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली मूल वाद के संलग्न दाखिल दफ्तर हस्ब नम्बर ते कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी